न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर–कैम्प दूदू

(पीठासीन अधिकारीः– मेघना चौधरी, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः– 186/2021/225 (2021/ 86)

1. रंजन उर्फ राजन यादव पुत्र कंवर सिंह, जाति यादव, निवासी प्रताप मेमोरियल हॉस्पिटल, कचहरी रोड़, अजमेर ।

अपीलांट

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, अजमेर ।
2. ग्राम पंचायत घूघरा जरिये सरपंच ग्राम पंचायत, घूघरा, तहसील व जिला अजमेर ।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध निर्णय विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर दिनांक 4.2.2021 अंतर्गत प्रकरण संख्या 40/2019.

उपस्थितः–

1. श्री प्रदीप विश्नोई, वकील अपीलांट ।
2. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता वकील रेस्पो0 संख्या 1.
3. श्री अमरसिंह राठौड़, वकील रेस्पो0 संख्या 2.

निर्णय

दिनांकः– 3.12.2021

1. यह अपील विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर के निर्णय दिनांक 4.2.2021 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है ।
2. प्रार्थी/अपीलांट ने अधी0न्याया0 में प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 1955 के तहत पेश कर कथन किया कि ग्राम घूघरा तहसील अजमेर में स्थित खसरा नंबर 970 रकबा 1.06 है0, खसरा नंबर 970/3503 रकबा 0.22 है0, खसरा नंबर 971 रकबा 0.52 है0, खसरा नंबर 971/3504 रकबा 0.27 है0 भूमि प्रार्थी के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज है । प्रार्थी को उक्त आराजी में आने जाने हेतु ग्राम घूघरा तहसील, अजमेर उपखण्ड अधिकारी अजमेर स्थित खसरा नंबर 975 रकबा 2.59 है0 चारागाह चौसाला वर्तमान जमाबंदी संवत् 2072 से 2075 के अनुसार सिवायचक दर्ज है में से रास्ता चाहिये । प्रार्थी को अपनी उक्त दर्शित खातेदारी आराजियात में मुख्य सड़क जयपुर रोड़ से आने जाने हेतु नजरी नक्शा में दर्शित रास्ता उपलब्ध है जिसका वह हमेशा से आने जाने में उपयोग करता आ रहा है किन्तु उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होने से अप्रार्थीगण द्वारा समय–समय पर प्रार्थी के आवागमन में बाधा उत्पन्न करते है । प्रार्थी को अपने उक्त जोत से मुख्य सड़क पर आने जाने हेतु अन्य कोई रास्ता मौजूद नहीं है इसलिये प्रार्थी को अपनी उपरोक्त खातेदारी आराजियात में आने जाने हेतु केवलमात्र अप्रार्थीगण की आराजी से ही सुलभ व नजदीकी तथा छोटा रास्ता नजरी नक्शा अनुसार आने जाने में सहायक हो सकता है । अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार

कर प्रार्थी की आराजियात की जोत तक पहुंच हेतु आराजी खसरा नंबर 975 रकबा 2.59 है0 में प्रस्तुत नजरी नक्शा में दर्शित अनुसार 30 फुट चौड़ा रास्ता स्वीकृत करने के आदेश प्रदान करावे । अधी0न्याया0 ने आदेश दिनांक 4.2.2021 द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज कर दिया । अधी0न्याया0 के इस आदेश से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील इस न्यायालय में पेश की है ।

3. अधी0न्याया0 का रिकार्ड प्राप्त होने पर उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई ।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने बहस में कथन किया कि अधी0न्याया0 का निर्णय न्याय, नियम एवं रिकार्ड के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अपीलांट को अपनी उक्त दर्शित खातेदारी आराजियात में मुख्य सड़क जयपुर रोड़ से आने जाने हेतु नजरी नक्शा में दर्शित रास्ता उपलब्ध है जिसका वह हमेशा से आने जाने में उपयोग करता आ रहा है किन्तु उक्त रास्ता राजस्व रिकार्ड में दर्ज नहीं होने से प्रत्यर्थीगण द्वारा समय–समय पर अपीलांट के आवागमन में बाधा उत्पन्न कर दी जाती है। अपीलांट की आराजियात में आवागमन हेतु इस रास्ते के अतिरिक्त अन्य कोई रास्ता मौजूद नहीं है । प्रार्थना पत्र में अंकित रास्ता ही प्रार्थी की खातेदारी भूमि में आने जाने हेतु सहायक हो सकता है । अधी0न्याया0 ने उपरोक्त तथ्य की जांच किये बिना प्रार्थना पत्र खारिज करने में त्रुटि कारित की है । धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 के तहत अधी0न्याया0 के समक्ष रास्ते हेतु प्रार्थना पत्र पेश किये जाने पर नियम 69 राज0काश्त0अधि0 के अनुसार या तो स्वंय मौका निरीक्षण करेगा या किसी अधिकारी द्वारा जो भू–अभिलेख निरीक्षक के पद से नीचे का नहीं होगा से निरीक्षण करवायेगा । किन्तु अधी0न्याया0 ने मौके की रिपोर्ट तलब किये बिना विधिक प्रावधानों के विपरीत प्रार्थना पत्र खारिज किया है । अधी0न्याया0 के समक्ष अपीलांट द्वारा वांछित प्रस्तावित रास्ता स्वीकृत कियेजाने में प्रत्यर्थीगण ने अनापत्ति जाहिर की है किन्तु अधी0न्याया0 ने उक्त तथ्य को नजरअंदाज कर प्रार्थना पत्र खारिज करने मे त्रुटि कारित की है । अपीलांट ने अपील के दौरान प्रार्थना पत्र पेश किया है जिसमें भी स्पष्ट कथन किया कि चारागाह भूमि में रास्ते में दिये जाने वाली भूमि की एवज में प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि में से उतनी ही भूमि चारागाह भूमि हेतु देने को तैयार है । ऐसी स्थिति में प्रार्थी के प्रकरण में धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 1955 के प्रावधानों के अनुसार रास्ता दिया जाना न्यायोचित था । अधी0न्याया0 ने समस्त तथ्यों एवं प्रावधानों को नजरअंदाज कर प्रार्थना पत्र खारिज करने में त्रुटि कारित की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधी0न्याया0 का आदेश निरस्त किया जावे तथा प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 स्वीकार किया जावे ।

5. विद्वान वकील राजकीय अधिवक्ता रेस्पो0 संख्या 1 ने बहस में कथन किया कि अपीलांट द्वारा जिस खसरा नंबर की आराजी में से रास्ते का अनुतोष चाहा है वह आराजी चारागाह है तथा चारागाह आराजी में से रास्ता दिये जाने का कोई प्रावधान नहीं है । चारागाह भूमि धारा 16 से प्रतिबंधित है जिसमें रास्ता नहीं दिया जा सकता है । यह भी कथन किया कि अपीलांट अपनी खातेदारी आराजी में आने जाने हेतु चारागाह भूमि में से रास्ते का उपयोग करता आ रहा है, ऐसी स्थिति में अपीलांट को रास्ते की आत्यंतिक आवश्यकता होना नहीं माना जा सकता है। विद्वान अधी0न्याया0 ने विधिसम्मत् रूप से प्रार्थना पत्र खारिज किया है जिसमें किसी हस्तक्षेप की गुंजाईश नहीं है । अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे ।

6. विद्वान वकील रेस्पो0 संख्या 2 ने बहस में कथन किया कि विवादित आराजी सिवायचक चारागाह आराजी है । नियमानुसार रास्ता दिये जाने में रेस्पो0 संख्या 2 को कोई आपत्ति नहीं है ।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया । अपीलांट ने अधी0न्याया0 के समक्ष प्रार्थना पत्र धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 पेश कर स्वंय की खातेदारी आराजियात खसरा नंबर 970 रकबा 1.06 है0, खसरा नंबर 970/3503 रकबा 0.22 है0, खसरा नंबर 971 रकबा 0.52 है0, खसरा नंबर 971/3504 रकबा 0.27 है0 में आवागमन हेतु खसरा नंबर 975 रकबा 2.59 है0 भूमि में से 30 फीट चौड़े रास्ते का अनुतोष चाहा है । अधी0न्याया0 की पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम घूघरा की जमाबंदी संवत् 2072 से 2075 के अनुसार खसरा संख्या 975 रकबा 2.59 है0 भूमि चारागाह दर्ज भूमि का वर्गीकरण खान दर्ज है । अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र एवं अपीलमीमों में अंकित कथनानुसार अपीलांट चारागाह भूमि खसरा नंबर 975 से आवागमन कर रहा है । अपीलांट ने यह भी स्पष्ट नही किया है कि चारागाह भूमि में से स्वंय की खातेदारी आराजियात में आवागमन हेतु किसके द्वारा रोका जा रहा है । धारा 251–ए राज0काश्त0अधि0 के तहत स्वंय की खातेदारी आराजियात में आवागमन हेतु कोई रास्ता उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में ही रास्ते का अनुतोष प्रदान किया जा सकता है । किन्तु हस्तगत प्रकरण में अपीलांट ने स्वंय कथन किया है कि वह चारागाह भूमि खसरा संख्या 975 में से आवागमन कर रहे है । ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा स्वंय की खातेदारी आराजियात में चारागाह भूमि में से आवागमन किये जाने से उसे रास्ते का अभाव नहीं माना जा सकता है । नियमानुसार चारागाह भूमि में से रास्ता दिये जाने का प्रावधान नहीं है। विद्वान अधी0न्याया0 ने विधिसम्मत् रूप से प्रार्थना पत्र खारिज किया है जिसमें हमें कोई अनियमितता प्रतीत नही होती है । उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट खारिज योग्य तथा अधी0न्याया0 द्वारा पारित आदेश यथावत् रखे जाने योग्य पाया जाता है।

8. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है । विद्वान उपखण्ड अधिकारी, अजमेर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 4.2.2021 यथावत् रखा जाता है । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

(मधना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

9. निर्णय आज दिनांक 3.12.2021 मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(मधना चौधरी)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर